[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 23rd December, 2013

No. S.O. 129/H.A. 29/1974/S. 65/2013.—The following draft of rules to further amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (Act 29 of 1974), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with the objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Irrigation and Water Resources Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft rules before the expiry of the period so specified.

Rules

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, in the "Schedule of Water Rates", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes" under column 1, 2, 3 and 4, after serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely :—

1	2	3	4
"5.	Fish ponds except fish processing, freezing and hatchery units	Per 2500 Cubic feet	₹40.00"

DR. K. K. KHANDELWAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Irrigation and Water Resources Department, Chandigarh.

51814—L.R.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

संख्या का०आ०129/ह०अ० 29/1974/धा० 65/2013.—हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 29) की धारा 65 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, नियमों के प्रारुप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किया जाए, विचार करेगी।

नियम

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) नियम, 2013,कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 में, "जल दरों की अनुसूची" में, भाग-II में, "सिंचाई परियोजनाओं से भिन्न" शीर्ष के नीचे, खाना 1,2,3 और 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"5.	मत्स्य प्रसंस्करण, हिमीकरण तथा स्फुटन शाला (हैचरि) को छोड़कर मत्स्य तालाब	प्रति 2500 घनफुट	₹40.00"

डॉ० के० के० खंडेलवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, चण्डीगढ़।